न्यायलय न्यायिक मजिस्ट्रेट कायमगंज फर्रूखाबाद

वाद स०ः-१११५/१६

०१/१०/१६

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते आदेश नियत हैं। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलवी पर सुना गया ।

सक्षेप मे परिवादी द्वारा परिवाद पत्र मे कथन किया है कि परिवादी दिनांक २५/०५/१६ को समय करीब ६ः३० बजे नल के किनारे नाली बना रहा था उसी समय गांव के शिव चरन,राजीव महेश,भूरे एक राय होकर लाठी डंडा व खुरपी फवडा लेकर आये मां बहन की गालिया देते हुए परिवादी को नाली बनाने से रोका और मार पीट के लिए हमलावर हुए परिवादी घर मे घुस गया तो उपरोक्त लोगो ने घर मे घुस के लात घुसो व लाठी डंडो से मारा पीटा,राजीव ने परिवादी के सिर मे खुरपी मारी चीख पुकार पर पुत्र ग्रीश व सुभाष आ गये तो उन्हे भी मारा पीटा व जान से मारने की धमकी दी परिवादी थाने पर गया तो दरोगा ने एन०सी०आर० दर्ज कर ली परिवादी ने चोटो का डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल कायमगंज मे कराया। चोटो की गम्भीरता को देखते हुए चिकित्सक ने लोहिया अस्पताल के लिए रिफर कर दिया परिवादी के सिर मे १२ टाकें आये थे लोहिया असपताल मे सर्जन न होने के कारण डाक्टर सर्वेश कनौजिया द्वारा परिवादी को दिनांक २६/०५/१६ को आई०सी०यू० मे सिटी असपताल मे भर्ती कराया।अतः अभियुक्तगण को तलब कर दण्डित करने की याचना की ।

परिवादिनी के वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स० व साक्षीगण पी०डब्लू०१ अमित कुमार, पी०डब्लू२ सुनील कुमार के वयान अर्न्तगत धारा२०२ द०प्र०स० लिखे गये ।

परिवादी ने अपने कथन मे पुलिस अधीक्षक को दिये गये प्रार्थना पत्र की कार्बन प्रति व डाक रशीद,रंगीन फोटो,चिकित्सीय आख्या दाखिल किया ।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

परिवादी ने अपने वयान अर्न्तगत धारा २०० द०प्र०स मे कथन कि परिवादी दिनांक २५/०५/१६ को समय करीब ६ः३० बजे नल के किनारे नाली बना रहा था उसी समय गांव के शिव चरन,राजीव महेश,भूरे एक राय होकर लाठी डंडा व खुरपी फवडा लेकर आये मां बहन की गालिया देते हुए परिवादी को नाली बनाने से रोका और मार पीट के लिए हमलावर हुए परिवादी घर मे घुस गया तो उपरोक्त लोगो ने घर मे घुस के लात घुसो व लाठी डंडो से मारा पीटा,राजीव ने परिवादी के सिर मे खुरपी मारी चीख पुकार पर पुत्र ग्रीश व सुभाष आ गये तो उन्हे भी मारा पीटा व जान से मारने की धमकी दी परिवादी थाने पर गया तो दरोगा ने एन०सी०आर० दर्ज कर ली परिवादी ने चोटो का डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल कायमगंज मे कराया। चोटो की गम्भीरता को देखते हुए चिकित्सक ने लोहिया अस्पताल के लिए रिफर कर दिया परिवादी के सिर मे १२ टाकें आये थे लोहिया असपताल मे सर्जन न होने के कारण डाक्टर सर्वेश कनौजिया द्वारा परिवादी को दिनांक २६/०५/१६ को आई०सी०यू० मे सिटी असपताल मे भर्ती कराया।

साक्षीगण पी०डब्लू०१ पी०डब्लू०२ ने अपने वयानो मे परिवाद का समर्थन किया हैं।

पत्राबली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण शिवचरन,राजीव,महेश,भूरे को धारा ३२३,४२७,५०४,४५२,५०६,३२४भा०द०स० के अर्न्तगत परिभाषित अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया पाया जाता हैं। अतः अभियुक्तगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्तगण शिवचरन,राजीव,महेश,भूरे को धारा ३२३,४२७,५०४,४५२,५०६,३२४ भा० द० स० भा० द० स० के अर्न्तगत जरिये समन दिनांक १६/१०/१६ के लिये तलब किया जाता हैं। परिवादी गवाहान लिस्ट दाखिल कर आवश्यक पैरवी अन्दर सात दिन में करे ।

जे० एम० कायमगंज